कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड पन्ना, म0प्र0

संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना कमांक 16/12–13 दिनांक 6–7–12

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत स्थल जल प्रदाय योजनाओं एवं सामान्य नलजल योजना में कार्य हेतु प्रपत्र "अ" (प्रतिशत दर) में मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सी. एम.डी. भोपाल के यूनीफाईड सी.एस.आर. जो दिनांक 1–4–2011 से प्रभावशील सी.एस.आर., अद्यतन सशोधन सहित, के आधार पर विद्युत विभाग में कार्य के अनुरूप उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत एवं अनुभवी ठेकेदारों से इस कार्यालय में दिनांक 23–7–2012 को अपरान्ह 3.00 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं एवं उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेंगी । कोरे निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन पत्र दिनांक 20–7–2012 तक सायं 5.30 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे ।

कार्य का विवरण :– पन्ना जिले के बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत निम्नलिखित स्थल जल प्रदाय योजनाओं में विद्युत कनेक्शन, परीक्षण एवं उससे संबंधित समस्त कार्य ।

ग्रुप क्र.	योजना के ग्राम का नाम	कार्य का विवरण	ठेके की अनु. लागत (रु0 लाख में)	अमानत राशि (रु0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार की श्रेणी म.प्र.वि.म. में पंजीकृत
1	2	3	4	5	6	7	8
पी–1	1. पुरुषोत्तमपुर 2. भिटारी	जल प्रदाय योजना के अंतर्गत 2 एच.पी. पंप हेतु कार्यपालन यंत्री म.प्र. पू. क्षे. वि.वि. कं. लि0 पन्ना द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार 11 के.व्ही.ए. /एल.टी. लाइन का विस्तार	1.97	3940.00	1000.00	एक माह	"अ" एवं उससे ऊपर
पी–2	1. फुलवारी	– तदैव–	1.98	3960.00	1000.00	एक माह	–"–
पी–3	1. सकरिया	जल प्रदाय योजना के अंतर्गत 5 एच.पी. पंप हेतु कार्यपालन यंत्री म.प्र. पू. क्षे. वि.वि. कं. लि0 पन्ना द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार 11 के.व्ही.ए. /एल.टी. लाइन का विस्तार	1.98	3960.0	1000.00	एक माह	–"–
ए–1	1. चंपतपुर	जल प्रदाय योजना के अंतर्गत 2 एच.पी. पंप हेतु कार्यपालन यंत्री म.प्र. पू. क्षे. वि.वि. कं. लि0 पन्ना द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार 11 के.व्ही.ए. /एल.टी. लाइन का विस्तार	1.99	3980.00	1000.00	एक माह	–"–
एस–1	1. सलैया फेरनसिंह 2. मनकौरा	जल प्रदाय योजना के अंतर्गत 2 एच.पी. पंप हेतु कार्यपालन यंत्री म.प्र. पू. क्षे. वि.वि. कं. लि0 पन्ना द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार एल.टी. लाइन का विस्तार	1.64	3280.00	1000.00	एक माह	–"–

ग्रुप क्र.	योजना के ग्राम का नाम	कार्य का विवरण	ठेके की अनु. लागत (रु0 लाख में)	अमानत राशि (रु0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार की श्रेणी म.प्र.वि.म. में पंजीकृत
1	2	3	4	5	6	7	8
एस –2	देवरी नलजल योजना	जल प्रदाय योजना के अंतर्गत 2 एच.पी. पंप हेतु कार्यपालन यंत्री-म.प्र. पू. क्षे. वि.वि. कं. लि0 पन्ना द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार 11 के.व्ही.ए. लाइन का विस्तार	1.58	3160.00	1000.00	एक माह	"अ" एवं उससे ऊपर

निविदा की शर्ते :–

1. निविदा प्रपत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ लोक निर्माण विभाग में इलेक्ट्रिक कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत होने का वैध पंजीयन की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । साथ ही वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किए जावेंगे ।
2. निविदाकार को आवेदन पत्र के साथ इसी आकार एवं प्रकार के कार्यो के सफलता पूर्वक सम्पादित करने का प्रमाण पत्र जो कार्यपालन यंत्री स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
3. प्रत्येक समूह के लिए पृथक–पृथक निविदा प्रपत्र प्रदाय किये जावेंगे । प्रत्येक समूह की निविदा हेतु धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) पृथक–पृथक एफ.डी.आर. के रूप में स्वीकार की जावेगी, जोकि कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड पन्ना के नाम पर देय हो । बिना अमानत राशि के निविदा अमान्य कर दी जावेगी । अमानत राशि ब्याज धारित प्रतिभूति के रूप में ही मान्य की जावेगी, जोकि निविदा दर लिफाफा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी । पुरानी एफ0डी.आर. का समायोजन नहीं किया जावेगा ।
4. डाक द्वारा निविदा प्रपत्र मंगाए जाने पर रु0 200/– अतिरिक्त डाक व्यय भेजना होगा । बिलंब से प्राप्त होने अथवा गुम होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा ।
5. वैध आयकर क्लीयरेंस प्रमाण पत्र अथवा वर्ष 2011–12 का रिटर्न जो आयकर विभाग में जमा किया गया हो, की प्राप्ति की रसीद की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा । साथ ही पेन नंबर, टिन नंबर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा । विक्रीकर पंजीयन होना अनिवार्य है ।
6. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कार्य कर रहे ऐसी फर्म/ठेकेदार निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र होंगे जिनके द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य अधूरा छोड़ा गया हो तथा ऐसे ठेकेदार जिनके द्वारा विभाग से कार्य हेतु प्राप्त की गई सामग्री से आंशिक सामग्री का उपयोग कर शेष सामग्री न तो विभाग को वापस की गई और न ही उसका मूल्य विभाग में जमा किया गया । तत्संबंधी विवरण आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है । ऐसी फर्म/ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर उनके द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी राजसात मानी जावेगी ।
7. यह कार्य विशिष्ट श्रेणी का है, अतः निविदा प्रपत्र फर्म/ठेकेदार को दिए जावेंगे जिनके द्वारा इस प्रकार के कार्य का 50 प्रतिशत या अधिक क्षमता के निर्माण कार्य सफलता पूर्वक निर्धारित अवधि में पूर्ण किया गया हो एवं इस आशय का प्रमाण पत्र जोकि कार्यपालन यंत्री के स्तर से कम न हो, आवेदन पत्र के साथ सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

8. निविदा में वर्णित कार्य की लागत अनुमानित है । ठेकेदार को कार्य स्थल के वास्तविक किए गए कार्य अनुसार भुगतान देय होगा ।
9. उपयुक्त आई.एस.आई. मार्क सीमेंट, लोहा एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी । सीमेंट की गुणवत्ता एवं निर्धारित मापदंडों का परीक्षण सक्षम अधिकारी से कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी ।
10. सशर्त निविदाएं अमान्य कर दी जावेंगी तथा बिना कारण बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा ।
11. ऐसे ठेकेदार जो पूर्व में आवंटित कार्य पूर्ण नहीं किए हैं उन्हें निविदा में शामिल नहीं किया जावेगा ।
12. दरों का उल्लेख स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में किया जाना आवश्यक है ।
13. दूरभाष पर निविदाएं मान्य नहीं होगी ।
14. कार्य का भुगतान आवंटन उपलब्ध होने पर किया जावेगा ।
15. कार्य से संबंधित अन्य जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है ।
16. निविदाएं निविदा खुलने की तिथि से 120 दिनों तक वैध रहेंगी ।
17. दरों का उल्लेख स्पष्ट प्रतिशत सी0एस0आर0 कम या अधिक अंकों एवं शब्दों में किया जाना आवश्यक होगा ।
18. यह सकर्म निविदा होगी, अतः नियमानुसार श्रमिक कल्याण उपकर 1 प्रतिशत एवं मध्यप्रदेश वेट अधिनियम के अनुसार वर्क्स कान्ट्रेक्ट पर 2 प्रतिशत की दर से वेट कटौती ठेकेदार के देयक से की जावेगी । भवन संनिर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम 1996 की धारा 3 के तहत निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर की कटौती देयक से की जावेगी ।
19. कार्य के दौरान उत्खनन से प्राप्त खनित जैसे फाड़ी, गिट्टी एवं रेत आदि की रायल्टी की कटौती खनिज विभाग द्वारा निर्धारित दरों एवं मापदंडों के अनुसार की जावेगी । मध्यप्रदेश शासन खनिज संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्र. 19–24/2004/12/1/1 दिनांक 18–12–2006 के माध्यम से प्राप्त निर्देशानुसार ठेकेदारों के अंतिम देयकों का भुगतान कलेक्टर से रायल्टी बकाया नहीं प्रमाण पत्र होने के उपरांत किया जावेगा ।
20. किसी भी परिस्थिति में मूल्य वृद्धि देय नहीं होगी ।
21. विद्युत कनेक्शन से संबंधित समस्त कार्य मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में 2010–11 हेतु प्रचलित दरों (रिवाइज्ड सी.एस.आर.) से प्रभावशील सी.एस.आर. के आधार पर जोकि निविदा दिनांक तक किए गए समस्त संशोधनों सहित लागू होंगे ।
22. इस निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण एवं शर्तें कार्यालयीन समय के दौरान निविदा प्राप्ति से एक दिन पूर्व तक इस कार्यालय में ठेकेदार द्वारा देखी जा सकती है ।
23. विद्युत से संबंधित समस्त सामग्री जैसे ट्रांसफार्मर एवं विद्युत पोल एवं तार, विद्युत विभाग से निर्धारित दर एवं मानकों के अनुसार ही उपयोग करना होगा ।
24. कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर ही पूर्ण किया जाना है, अन्यथा एफ.डी.आर. राजसात की जावेगी ।
25. विद्युत विस्तार कार्य में संलग्न कुशल–अकुशल श्रमिकों के पंजीयन एवं किसी भी प्रकार की संपत्ति की क्षति या मानवीय दुर्घटना के लिए क्षतिपूर्ति हेतु संविदाकार पूर्ण रूप से स्वयं उत्तरदायी होंगे ।
26. भुगतान पूर्व लाइन विस्तार का कार्य पूर्ण होने पर सहायक विद्युत निरीक्षक, सतर्कता एवं सुरक्षा, म0प्र0 शासन द्वारा निरीक्षण टीप प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी ।

कार्यपालन यंत्री
लोक. स्वा0. यांत्रिकी खंड पन्ना